NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 128/NCRES/19 Date : 13.05.2019

श्रीमान महाप्रबन्धक (कार्मिक)
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषयः— री–इन्गेज्ड सेवानिवृत रेल कर्मचारियों हेतु छुट्टी के प्रावधान के सम्बन्ध मे।

महोदय,

भारतीय रेलवे में सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को सेवानिवृत्त के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक कार्य करने का आदेश पारित किया गया है। इसी तरह राजपत्रित अधिकारियों को भी सेवानिवृत्त के पश्चात सलाहकार के रूप में नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों को कलेन्डर वर्ष में 12 दिनों के अवकाश का भी प्रावधान किया गया है किन्तु नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में सेवानिवृत्त अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को री– इन्गेज्ड के उपरान्त अवकाश की सुविधा प्रदान नही की गयी है।

यहां अवगत कराना है कि अन्य जोन में सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों के तरह ही सेवानिवृत्त अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को भी 12 दिनों के अवकाश प्रदान करने हेतु आदेशित किया गया है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि NCR में भी री–इन्गेज्ड अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को कलेण्डर वर्ष में 12 दिनों का अवकाश स्वीकृत करने का आदेश पारित करने का कष्ट करे।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री